

केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.)

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
 18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.

Tel.: 011-2695168, 8860748880

Email- mpquota@kvs.gov.in

Website: www.kvsangathan.nic.in

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (RS)

दिनांक- 20.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Smt. Shanta Chhetri** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 910 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

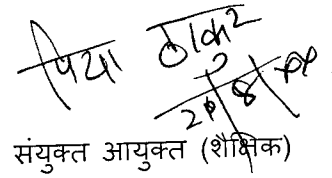
S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	NITIA KUMARI	SH. DHARMENDRA KUWAR MOB- 9163557444, 9836741722	1	BALLYGUNGE
2	SUKRITI BISWAS	SH. SHOVAN BISWAS MOB- 8370931196	1	NFR NEW JALPAIGURI
3	ADRIN DAS	SH. RANA DAS MOB- 7044284248	1	OF DUM DUM
4	DIVIJA BANERJEE	INADMISSIBLE BECAUSE CLASS IS INVALID		
5	PRABISHA THAPA	SH. PRABIN THAPA MOB- 8906604615, 7318720116	2	SEVOKE ROAD SALUGARA
6	AHAD HUSSAIN	SH. M.D. JAVED MOB- 7605894786	2	BALLYGUNGE
7	SREYASH GHOSH	SH. ANUPAM GHOSH MOB- 9830133669, 7595070099	5	OF DUM DUM
8	SRIDATRI BOSE	SH. SUJOY BOSE MOB- 9433213013, 9123945992	1	AFS BARRACKPORE
9	ANURAAG SEN	SH. ASHOK SEN MOB- 9836393434	3	IIM JOKA
10	ROHAN HARA	SH. HAWIF HARA MOB- 9007883807, 8697009764	2	FORT WILLIAM

प्रिया ठाकुर

कृ. पृ. 3.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।


संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Smt. Shanta Chhetri माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, KOLKATA संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)